भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3308
17 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर पूर्व राज्यों में स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार हेतु परियोजनाएं

3308. कुमारी अगाथा के. संगमा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रावधान के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए उत्तर पूर्व राज्यों में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या बढ़ाने का विचार है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में फैले अफ्रीकी स्वाइन बुखार को समाप्त करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार के पास आयुष्मान भारत योजना में शामिल उत्तर पूर्व क्षेत्र के चाय बागान श्रमिकों की संख्या के आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और नए अस्पतालों की स्थापना, उन्नयन और मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण सहित सुगम, वहनीय और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत की गई आवश्यकताओं के आधार पर अपने सभी नागरिकों को

समान, वहनीय स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान के लिए और मानव स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधनों की तैनाती के साथ-साथ राज्यों स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों जिसमें जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी)जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार शामिल है, को माध्यमिक परिचर्या स्तर तक सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-I** के अनुसार है।

(ख) और (ग): "भारत कोविड-19 आपात अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य तत्परता पैकेज: चरण-II" नामक 23,123 करोड़ रु. की राशि वाली एक नई स्कीम 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक के लिए कार्यान्वयनाधीन है, जिसका उद्देश्य मापने योग्य परिणामों के साथ बाल रोग परिचर्या सहित स्वास्थ्य अवसंरचना विकास पर अभिकेंद्रीत शीघ्र निवारण, पहचान और प्रबंधन हेतु शीघ्र अनुक्रिया के लिए स्वास्थ्य तत्परता की गति को बढ़ाना है। इस योजना के तहत बाल रोग परिचर्या इकाई के लिए बिस्तर, आईसीयू बिस्तर, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) टैकों और मेडिकल गैस पाईपलाइन (एमजीपीएस) तथा क्षेत्रीय अस्पतालों की स्थापना के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर है। पूर्वोत्त्र राज्यों को कुल 30,492 ऑक्सीजन सीलेंडर आवंटित किए गए हैं। ब्यौरा **अनुलग्नक-III** पर है।

(घ): अफ्रीकी स्वाईन फीवर का उन्मूलन करने के लिए अभी तक सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है।

(ङ): दिनांक 23.09.2018 को शुरू की गई आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमश: चुनिंदा अभावों तथा रोजगार संबंधी मापदंडों के आधार पर पहचान किए गए 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रु. का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराती है। स्कीम की रूपरेखा के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एबी-पीएमजेएवाई के साथ मिलकर अपनी लागत पर अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीमों को कार्यान्वित करने की छुट प्रदान की गई है।
लाभार्थियों के श्रेणीवार आंकड़ें नहीं रखे जाते। निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले चाय बागान कामगार भी इस स्कीम के तहत लाभों को प्राप्त करने के पात्र हैं।

अनुलग्नक-I

गत पांच वर्षों के दौरान एनएचएम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में उप केंद्रों (एससी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), उप जिला अस्पतालों (एसडीएच) और जिला अस्पतालों (डीएच) के तहत उन्नत स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान हेतु परियोजनाओं को आंरभ करने का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एससी	पीएचसी	सीएचसी	एसडीएच	डीएच
1	अरुणाचल प्रदेश	59	0	0	0	1
2	असम	59	0	41	0	1
3	मणिपुर	0	8	0	0	0
4	मेघालय	12	34	1	1	1
5	मिजोरम	0	8	0	0	0
6	नागालैंड	19	11	0	0	0
7	सिक्किम	6	1	0	0	0
8	त्रिपुरा	0	18	2	0	1

स्रोत: आरएचएस मार्च, 2016 (आरएचएस 2016-17 में) और आरएचएस 2019-2020

अनुलग्नक-II

'भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज: चरण-2 (ईसीआरपी-II) के तहत अनुमोदित परियोजनाएं'

राज्य	**उप केंद्रों (एससी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), उप जिला अस्पतालों (एसडीएच), जिला अस्पताल (डीएच) और मेडिकल कॉलेजों में शुरू की गई स्वास्थ्य परियोजनों का नाम**
अरुणाचल प्रदेश	पीडियाट्रिक केयर यूनिट्स, आईसीयू बेड, एलएमओ टैंक तथा एमजीपीएस।
असम	पीडियाट्रिक केयर यूनिट्स, आईसीयू बेड, फील्ड हॉस्पिटल्स की स्थापना, एलएमओ टैंक और एमजीपीएस ।
मणिपुर	पीडियाट्रिक केयर यूनिट्स, आईसीयू बेड, फील्ड हॉस्पिटल्स की स्थापना, एलएमओ टैंक और एमजीपीएस ।
मेघालय	पीडियाट्रिक केयर यूनिट्स और फील्ड अस्पतालों की स्थापना।
मिजोरम	पीडियाट्रिक केयर यूनिट्स, एलएमओ टैंक और एमजीपीएस।
नागालैंड	पीडियाट्रिक केयर यूनिट्स और आईसीयू बेड।
सिक्किम	पीडियाट्रिक केयर यूनिट्स, आईसीयू बेड, एलएमओ टैंक और एमजीपीएस।
त्रिपुरा	पीडियाट्रिक केयर यूनिट्स, आईसीयू बेड, फील्ड हॉस्पिटल्स की स्थापना, एलएमओ टैंक और एमजीपीएस।

अनुलग्नक-III

पूर्वोत्तर राज्यों को ऑक्सीजन सिलेंडर के आवंटन का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	(13.12.2021 तक) ऑक्सीजन सिलेंडरों का कुल आवंटन
1	अरुणाचल प्रदेश	1446
2	असम	14968
3	मणिपुर	2581
4	मेघालय	3333
5	मिजोरम	2021
6	नागालैंड	2483
7	सिक्किम	1060
8	त्रिपुरा	2600
	कुल	**30,492**

*****